न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर, (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 02/2018 राजस्व प्रार्थनापत्र

उनवान

1 श्री रामलाल पिता राजु भील उम्र वयस्क नि0 अमरतिया तहसील हुरडा जिला भीलवाड़ा (राज.)

————प्रार्थी

बनाम

1 छीतर पिता हुक्मा भील, उम्र वयस्क, निवासी आगूँचा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा–फौत के बजाय

1/1 सोहन पिता छीतर भील, उम्र वयस्क निवासी आगूँचा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

1/2 हरिकिशन पिता छीतर भील, उम्र वयस्क निवासी आगूँचा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

2 प्रेमशंकर पिता माधु ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी कासोरिया तह. बनेडा जिला भीलवाडा

3 देवकरण पिता माधु ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी कासोरिया तह. बनेडा जिला भीलवाडा

4 रामचन्द्र पिता माधु ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी कासोरिया तह. बनेडा जिला भीलवाडा

5 रामसुख पिता माधु ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी कासोरिया तह. बनेडा जिला भीलवाडा

6 तुलसी बेवा माधु ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी कासोरिया तह. बनेडा जिला भीलवाडा

7 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

————अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–(क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन

उपस्थित –

1 श्री श्याम लाल गुर्जर (अधिवक्ता प्राथी)

2 पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक – 06.02.2018

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी/प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–(क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन दिनांक 03.01.2018 को प्रस्तुत किया।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा कासोरिया पटवार मण्डल कासोरिया तहसील बनेडा स्थित आराजी न0 260, 261, 262, 263 कुल किता 04 कुल रकबा 05–03 बीघा प्रार्थी के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। एंव प्रार्थी के स्वंय के खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से अडौसी–पडौसीयों से मिन्नत करके अपनी स्वयं की आराजी तक पहुंचना पडता है। पुर्व में विपक्षि की खातेदारी भूमि में होकर आता जाता रहा है। परन्तु अब अप्रार्थीगण द्वारा रूकावट किये जाने से विपक्षिगणो की आराजी सं0 259 रकबा 03–11 बीघा व 257 रकबा 02–16 बीघा के मेर के सहारे–सहारे 15 फिट रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थनापत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। दिनांक 16.01.2018 को विपक्षीगण संख्या 02 लगायत 06 सूचना के बावजूद नियत सुनवाई पर अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी कम 01 के फौत हो जाने से प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा न्यायालय को अवगत कराते

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भील.)

हुए प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 22 नियम 04 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर विपक्षी कम 01 के कायम मुकामो को रिकार्ड पर लिये जाने आशय का आग्रह प्रार्थनापत्र के माध्यम से दिनांक 16.01.2018 को किया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र बाद अवलोकन/परिक्षण स्वीकार कर मृतक विपक्षी संख्या 01 के कायम मुकामो की तलबी हेतु सम्मन/नोटीस जारी किये गये। दिनांक 23.01.2018 को मृतक विपक्षी संख्या 01 के कायम मुकाम विपक्षीगण संख्या 1/1, 1/2 सूचना के बावजूद नियत सुनवाई पर अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। न्यायालय द्वारा जारी सम्मनो के संदर्भ में विपक्षिगणो द्वारा कोई प्रतिरोध पैश नही किया गया।

तहसीलदार बनेडा द्वारा मामले में प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रेकार्ड एंव मौके का अध्ययन कर नया रास्ता कायमी हेतु संबधित हल्का पटवारी कासोरिया की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया गया। नवीन रास्ता हेतु हल्का पटवारी द्वारा तरतीब दिया पर्चा मौका, रिपोर्ट पटवारी हल्का नजरी नक्षा प्रस्तावित नक्षा ट्रेस, तैयार प्रस्ताव प्राप्त किये गये, जिसे रिकार्ड पर लिया गया।

हमने प्रकरण में हल्का पटवारी कासोरिया द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक रास्ता कायमी बाबत रिपोर्ट के अध्ययन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी की मौजा कासोरिया के आराजी न0 257 मे से 00–04 बिस्वा व आराजी संख्या 259 में से 00–02 बिस्वा भूमि ही रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है। अतः अप्रार्थी को इसे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नही है। राज्य सरकार द्वारा नवीन संदर्भ में जारी आदेश अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251–(क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन संबधि नया कानून बनाने के पीछे स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावे। यह रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध करांये जाने का प्रावधान है। परन्तु रिपोर्ट तहसीलदार बनेडा मय मौका पर्चा हल्का पटवारी कासोरिया से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थी को केवल मात्र 00–06 बिस्वा का ही रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पैश हुए है। इस प्रकार अप्रार्थी को न्यूनतम असुविधा का ध्यान रखते हुए आराजी न0 257 मे से 00–04 बिस्वा व आराजी संख्या 259 में से 00–02 बिस्वा रास्ता प्रस्तावित हुआ है। सुखाचार अधिनियम में भी स्पष्ट है कि यदि खातेदार को पडौसी खातेदारो की भूमि में से रास्ता नही उपलब्ध कराया गया तो प्रार्थी को खेती के कार्य से महरूम रहना पड सकता है।

मेने पत्रावली का उद्योपांन्त अध्ययन एंव अवलोकन किया है। प्रार्थी द्वारा 15.00 फिट का चाहे गये नवीन रास्ते के मुकाबले तहसीलदार बनेडा द्वारा प्रस्तावित मौजा कासोरिया की स्थित आराजी न0 257 की दक्षीणी दिशा की मेड के सहारे सहारे 00–04 बिस्वा (15 फिट) तथा आराजी संख्या 259 की पश्चिमी दिशा की मेड के सहारे सहारे 00–02 (15 फिट) रास्ता भूमि कायमी हेतु यह प्रकरण उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने के आदेश इस प्रकार प्रदत्त किये जाते है कि मौजा कासोरिया कि आराजी न0 257 की दक्षीणी दिशा की मेड के सहारे सहारे 00–04 बिस्वा (15 फिट) तथा आराजी संख्या 259 की पश्चिमी दिशा की मेड के सहारे सहारे 00–02 (15 फिट) भूमि नवीन रास्ता कायमी के आदेश प्रदान किये जाते है। पटवारी हल्का कासोरिया द्वारा प्रस्तावित उक्त 00–06 बिस्वा का जिसे नक्षा ट्रेस में प्रर्दश किया गया है, उसकी एक प्रति तथा नजरी नक्षा की एक प्रति तहसीलदार बनेडा को भिजवायी जाकर हल्का पटवारी कासोरिया के प्रस्ताव अनुसार रास्ता कायम किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भील.)

–:: आदेश ::–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने से मौजा कासोरिया पटवार मण्डल कासोरिया तहसील बनेडा स्थित आराजी न0 257 रकबा 02–16 बीघा मे से 00–04 बिस्वा तथा आराजी न0 259 रकबा 03–11 बीघा मे से 00–02 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 06–07 बीघा के मुकाबले 00–06 बिस्वा मुताबिक प्रस्ताव रास्ता कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड में अमलदरामद तहसीलदार बनेडा द्वारा किया जावें। यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण (आराजी न0 257 एंव 259 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में तहसीलदार बनेडा के यहा प्रचलित डी0एल0सी0 की दर यानि 71,030/– रूपये प्रति बीघा अनुसार 00–06 बिस्वा मालियत राशि 21,309/– की दुगुनी राशि (0.06 बिस्वा की) अर्थात 42,618/– रूपये राज्य कोष/अप्रार्थीगण को अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2018 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भील.)